भूमि अर्जन से सम्बन्धित जानकारी / प्रश्न / उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1– परिषद द्वारा योजना को संचालित किये जाने हेतु परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निम्न धाराओं के अन्तर्गत अधिग्रहण की जाती है।	हॉ। सर्वप्रथम योजना का स्थल चयन समिति द्वारा मौके का निरीक्षण कर भूमि का चयन किया जाता है।
2– धारा–28, धारा–32, धारा–7/17, एवार्ड, कब्जा, एवं एवार्ड के विरूद्ध प्रतिकर की धनराशि वितरित की जाती है।	धारा–28 व धारा–32, का गजट प्रकाशन कराया जाता है।
3– आवेदक द्वारा योजना की धारा–28 कब हुई, कितने ग्राम की भूमि शामिल है।	धारा–28 की सीमान्तर्गत ग्रामों को शामिल किया जाता है।
4– धारा–28 के बाद नियोजन समिति द्वारा किस तरह के निर्माण को अर्जन मुक्त करती है।	4– धारा–28 के पहले के निर्माण को नियोजन समति द्वारा आसुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित करती है।
5– आपत्तियों के समय कमेटी द्वारा असुधार/विकास शुल्क किस दर से निर्धारित करती है।	5– वर्तमान दर अथवा भूमि दर से आसुधार/विकास शुल्क लिये जाने का निर्णय करती है।
6– धारा–32 के प्रकिया के बाद यदि मेरी भूमि पर निम्रण है तो किस प्रकार अर्जनमुक्त/समायोजित हो सकती है।	6– धारा–32 के बाद यदि कब्जा, एवार्ड, अभिनिर्णय घोषित नही होता तथा मा0 न्यायालय में वाद वर्षो तक चलता है, तो उसे मा0 परिषद विचार करती है
7– नियोजन समिति द्वारा छोडी गयी भूमि का क्या परिषद विकास करेगी।	7– आसुधार शुल्क जमा करने पर सुविधा भूस्वामी को ही पाती है।
8– मा0 परिषद द्वारा धारा–32 के बाद यदि भूमि को अर्जनमुक्त/समायोजित की गई है, जिसका विकास शुल्क परिषद द्वारा मांग किया जा रहा है। यदि भूस्वामी स्वयं बिजली, पानी, सीवर की व्यवस्था कर ली है। तथा विधायक/सांसद निधि से सडक का निर्माण आदि करा लिया गया है तो किस प्राविधान के अन्तर्गत विकास शुल्क की मांग की जा रही है।	8– मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णय व शर्तो के आधार पर मांग करती है।
9– परिषद व भूस्वामी के मध्य छोटे–छोट भूखण्डों के समायोजित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय/न्यायालय में बाद क्यों कराया जाता है। समझौते से परिषद प्रकरण को क्यों नहीं निस्तारण करती है।	9– इस समाधान हेतु परिषद द्वारा भूमि समाधान समिति, समाधान दिवस तथा अन्य समिति गठित कर प्रकरण का निस्तारण करती है।
10– योजना का एवार्ड घोषित होने के बाद की	10– भूस्वत्व अथवा धारा–18 या धारा–30 डी0सी0पी0 में

परिषद काश्तकारों के मध्य प्रति/डिकीटल धनराशि का भुगतान समय से भूस्वामियों को क्यों नहीं किया जाता।	मा0 न्यायालय में विवाद होने के कारण भुगतान की कार्यवाही में विलम्ब होता है।
11– भूस्वामियों के भूमि का कब्जा एवं एवार्ड घोषित न होने तथा कब्जा प्राप्त करने के बाजजूद परिषद भूस्वामी के भूमि पर मकान बना लेती है। लेकिन न उसका मुआवजा देती है न उसकी भूमि वापस की जाती है।	11– परिषद द्वारा धारा–28, 32, 7/17 की कार्यवाही पूरी करने के पश्चात भूमि का मुआवजा देती है या बोर्ड द्वारा समिति के अधीन भूखण्ड देती है।
12– किसी योजना की धारा–28 के समय चकबन्दी प्रकिया होती है बाद में धारा–32 के बाद चकबन्दी होती है जिसके कारण खसरा नम्बर बदल जाते है तो नये खसरे से परिषद को प्रतिकर का भुगतान /एवार्ड घोषित करती है जो नियम के विरूद्ध है। उस भूमि पर परिषद का कोई अधिकार नहीं है।	12– धारा–28 व 32 की कार्यवाही के पश्चात चकन्दी होने पर पुराने खसरो को नये खसरा का प्रकाशन कर एवार्ड घोषित कराकर प्रतिकर भुगतान करती है।
13– परिषद द्वारा मेरी भूमि अधिग्रहण की गयी लेकिन किसी कारणवस भूस्वामी की भूमि डेन्जर/ग्रीनबेल्ट में छोडी दी जाती है परन्तु परिषद द्वारा उस भूमि पर मकान/भवन बनाने के लिए नक्शा परिषद क्यों नहीं पास करती है क्यों उक्त भूमि का धारा–28 परिषद करती है जो सीमा के अन्तर्गत है।	13– शासन के शासनादेश के अन्तर्गत प्रथक करने के पश्चात उसे परिषद द्वारा मकान/भवन का नक्शा दुसरे विभाग एल0डी0ए0 को अधिकृत करती है, जो हमारी सीमा के बाहर है।
14– मेरी भूमि परिषद द्वारा कब्जा ले ली है तो प्रतिकर के लिए क्यों वर्षो तक भूस्वामी को आफिस का चक्कर लगाना पड रहा है।	14– भूस्वत्व अथवा मा0 न्यायालयों में विवाद के कारण प्रतिकर का भुगतान समयान्तर्गत नही होता है
15– भूमि विवाद की समस्या एक मानक अवधि में क्यों नहीं निस्तारण परिषद करती है।	15– परिषद नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करती है।
16– परिषद आपसी समझौते से कास्तकारों की भूमि लेती है तो जिलाधिकारी को क्यों मध्यक्षता में रखती है। धारा–32 के बाद परिषद स्वयं -----के माध्यम से भूमि कास्तकारों से क्यों नहीं लेती।	16– एवार्ड/कब्जा धारा–7/17 के अन्तर्गत शासन के निर्देशो के अनुपालन में कार्यवाही की जाती है। इस लिये जिलाधिकारी लखनऊ को लैण्ड एक्वीफेशन के अन्तर्गत एवार्ड/कब्जा तथा प्रतिकर भुगतान का अधिकार है, जो परिषद में निहित नही है।
17– भूस्वामियों की भूमि अधिग्रहण के बाद उसके भूमि/भूखण्ड को किस मानक के आधार पर दुकान आदि देने के समझौता करती है लेकिन भूस्वामियों की उक्त दुविधा तत्काल क्यों नहीं मिलती।	17–मा0 परिषद द्वारा योजना के काश्तकारो से आपसी समझौते के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दरो का निर्धारण/भूखण्ड/अन्य सुविधायें देने की संस्तुति के आधार पर परिषद अनुमोदन कर कार्यवाही करती है।

18– भूस्वामी की लाखों रूपये की भूमि परिषद लेती है लेकिन उसके भुगतान/भूमि का लेखा जोखा पैसे बैंक में एकाउण्ट की तरह मेन्टेन होता है। उसी आधार पर परिषद लेजन क्यों नहीं बनाती है।	18– अधिशासी अभियन्ताओं/अपर जिलाधिकारी कार्यालयो में लेखा–जोखा का मिलान होता है तथा बाउचर के माध्यम से बैंक के द्वारा भूस्वामी के खाते में भुगतान किया जाता है।
19– भूमि अध्याप्ति कार्यालय में प्रतिकर का भुगतान करने में भूस्वामियों को काफी कठिनाई होती है हर भूस्वामी का भुगतान खातेवार होना चाहिए।	19– अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) कलेक्ट्रेट, लखनऊ द्वारा खातेदारो के खाते वार भुगतान करती है।
20– धारा–28 का बजट परिषद द्वारा 20 वर्ष पहले किया गया लेकिन अभी तक धारा–32, धारा–7/17, एवार्ड/कब्जा की कार्यवाही करने में इतने वर्ष क्यों लगते हैं।	20– भू–अधिग्रहण की प्रकिया परिषद/शासन/जिलाधिकारी एवं अन्य भू–उपयोग की कार्यवाही करने में विलम्ब होता है।
21– धारा–28 के बाद परिषद की भूमि न बेच सकता है, न मकान बना पता है, न उस पर फसल बो पता है जिससे भूस्वामियों को आर्थिक/मानसिक परेशानी उठानी क्यों पडती है।	21– धारा–28 व धारा–/17 की कार्यवाही एवं एवार्ड घोषित करने के पश्चात भूस्वामी प्रतिकर प्रापत कर लेता है। यदि फसल खडी है, तो परिषद उसे काट लेने के बाद ही निर्माण करती है।
22– योजना के अन्तर्गत ग्राम समाज, ऊसर, बंजर परती की भूमि पर भूस्वामी द्वारा भवन बना लिया है तो परिषद उसे किस नियम के तहत अर्जन करती है।	22– योजना के अन्तर्गत ग्राम समाज आदि की भूमि का धारा–38 के अन्तर्गत पुर्नग्रहण करती है।
23– ग्राम समाज की भूमि को ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा पट्टे पर दी गयी थी, जो भूस्वामी द्वारा मकान बना लिया है उसे किस नियम के अन्तर्गत समयोजित की जायेगी।	23– धारा–28 के पूर्व का मकान है, तो नियोजन समिति द्वारा आसुधार/विकास शुल्क लेकर परिषद नियमानुसार कार्यवाही करती है।